



## राजस्थान राज्य सूचना आयोग

ओटीएस केम्पस के पास, झालाना लिंक रोड,  
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर (फोन एवं फैक्स नं. 0141-2719136)

क्रमांक:- पं 6 ( )रा.सू.आ./केयरटेकर/2025/490

दिनांक:- 30 JAN 2025

सिमित निविदा सूचना संख्या-5/2025-26

राजस्थान राज्य सूचना आयोग कार्यालय में पार्ट टाईम (कॉल बेसीस) बिजली से संबंधित कार्य की सिमित निविदा एक वर्ष हेतु आमन्त्रित की जाती है।

| क्र. सं. | कार्य का नाम           | अनुमानित लागत (लाखों में) | निविदा अपलोड की तिथि           | निविदा जमा कराने की अंतिम तिथि | निविदा खोले जाने की तिथि     |
|----------|------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 1.       | बिजली से संबंधित कार्य | 0.36 (लाख)                | 31.01.2025<br>प्रातः 10.00 बजे | 10.02.2025<br>दोपहर 12.00 बजे  | 10.02.2025<br>दोपहर 3.00 बजे |
|          | योग:-                  |                           |                                |                                |                              |

निविदा प्रपत्र विभाग की वेबसाइट Ric.rajasthan.gov.in एवं State Public Procurement Portal से डाउनलोड किया जा सकता है।

उक्त कार्य हेतु निविदाएँ मुहरबंद लिफाफे में जिन पर स्पष्ट रूप से जिस कार्य के लिए निविदा प्रस्तुत की जा रही है, उसका नाम लिखा हो, राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर में निर्धारित तिथि को दोपहर 12.00 बजे तक जमा की जायेगी। निविदा उसी दिवस को अपराह्न 3.00 बजे विभागीय उपापन समिति द्वारा निविदादाताओं या उसके अधिकृत प्रतिनिधि, जो उपस्थित हो, के समक्ष खोली जायेगी। उक्त निविदा RTTP 2013 के नियमों के अधीन रहेगी।

आयोग में बिजली का कार्य करने की शर्त:-

- कार्यालय बेसमेन्ट सहित द्वितीय फ्लोर तक स्थापित है।
- कार्यालय के विद्युत संबंधि फॉल्ट होने पर फोन से बुलाए जाने पर ठीक करना होगा।
- बिजली के कार्य में लाईट, पंखे, स्वीच, बोर्ड, लाईन आदि को बदलना/मरम्मत करना होगा। सामग्री का व्यय आयोग के स्तर पर होगा पुराने पार्ट्स आयोग के भण्डार में जाना करवाया जाना अनिवार्य है।
- फोन करने के 5 घंटे के दौरान बताए गये कार्य को करना होगा। 5 घंटे के उपरान्त कार्य नहीं होने पर आयोग अपने स्तर पर अन्य से कार्य करवाता है तो होने वाले व्यय का पुर्नभरण संबंधित के आगामी माह के बिल से काट लिये जावेगे।
- बिल प्रत्येक माह प्रेषित करने पर भुगतान किया जायेगा।
- शिकायत दर्ज करने के 5 घंटे उपरान्त भी संबंधित निविदादाता द्वारा कार्य नहीं किया जाने की अवस्था में आगामी माह के बिल से 1/3 भाग राशि पेनल्टी के रूप में काट ली जायेगी।
- निविदा अनुबन्ध को कभी भी समाप्त करने के पूर्ण अधिकार आयोग के होंगे।

नोट:-

1. निविदा से संबंधित अन्य शर्तें कार्यालय में कार्यालय समय में एवं आयोग की वेबसाइट [ric.rajasthan.gov.in](http://ric.rajasthan.gov.in) व विभागीय वेबसाइट <http://sppp.rajasthan.gov.in> पर देखी जा सकती है एवं डाउनलोड की जा सकती है।
2. निविदा प्राप्त करने की तिथि को राजकीय अवकाश रहता है, तो निविदायें अगले कार्य दिवस को प्राप्त की जावेगी।
3. कार्य करने की प्रतिमाह की दर.....

UBN SIC 2425 SSOB 60006



उप सचिव  
राजस्थान राज्य सूचना आयोग  
जयपुर